न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / I/A निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1959

1. भागीरथ पुत्र घपोले

2. ज्यादीन पाल पुत्र छिदामी पाल, उम्र 45 वर्ष

धन्धा खेती, निवासी ग्राम मुहारा तह. जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. --- आवेदक

विरूद्ध

1. चन्द्रभान तनिह श्री नन्दू यादव निवासी बेरवार तह. जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. --

2. म. प्र. शासन ---- अनावेदकगण

दिनांक 28-6-17 को श्री राम सेवक शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।

28-6-17

28-6-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.5.17 द्वारा पारित कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा तह. जतारा प्र. क्र. 11/अ 12 /16-17 चन्द्रभान विरूद्ध म.प्र. शासन के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, अनावेदक क्र. चन्द्रभान द्वारा सर्वे न. 3/519 /1 का रकबा 1.315 हैक्टेयर का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा तह. जतारा के सम्मुख प्रस्तुत किया जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 25.5.17 को अपने कार्यालय पर ही बैठकर सीमांकन कार्यवाही रिपोर्ट व फील्ड बुक व पंचनामा आदि तैयार किया जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 26.5.17 को हमारे चाचा भागीरथ प्रसाद द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा निराधार मानकर तथा आपत्ति पर साक्ष्य आदि ना लेकर निरस्त कर दी गई तथा दिनांक 30.5.17 को सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1959

भागीरथ व अन्य विरूद्ध चन्द्रभान व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-05-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा, तहसील जतारा, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला- **टीकमगढ़** को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये 28/5/19 (आर.के. जैन) सदस्य	